न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 07/2021

प्रार्थीगण :—

1 मनीष पुत्र स्व. भरतसिंह ,
2 दरिया कंवर पत्नी स्व. भरतसिंह,
3 प्रियंका पुत्री स्व. भरतसिंह,
4 सीमा पुत्री स्व. भरतसिंह,
5 टीना पुत्री स्व. भरतसिंह जाति चारण निवासीगण चारणों का बास रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1 उर्वशी पत्नी स्व. चन्द्रशेखर
2 अमरदीपसिंह पुत्र स्व. सवाई सिंह
3 प्रिति कंवर पुत्री स्व. सवाई सिंह
4 महादेवसिंह पुत्र स्व. सवाई सिंह
5 राज कंवर पत्नी स्व. सवाई सिंह
6 वसुदेव पुत्र स्व. हरिसिंह जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजतत जिला पाली राजस्थान
7 प्रेम देवी पत्नी चम्पालाल जाति कुमपावत निवासी बेरा बाड़ी निम्बेड़ा कला तहसील सोजत जिला पाली।
9 तहसीलदार(भूमि धारक) सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. श्री भुण्ड़ाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 14.12.2022

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 400 व पुराना खाता संख्या 275 के खसरा नंबर 523, 527, 528, 529, 534 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.2500 है0 किस्म बंजड़,चा0सो0,जा0सो0 की कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज हरिसिंह पुत्र खेमदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान की हकूक खातेदारी की कृषि भूमि थी। हरिसिंह पुत्र खेमदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी का देहान्त हो चुका है। जिनका वंशवृक्ष निम्नानसार है। स्वर्गीय हरीसिंह पुत्र श्री खेमदानजी चारण, दरियाव कंवर पत्नि स्वर्गीय हरिसिंह, सवाईसिंह, भरतसिंह, वसुदेव पि0 स्वर्गीय हरिसिंह गुलाब कंवर, माणक कंवर, प्रकाश कंवर पुत्रीया स्वर्गीय हरिसिंह, राजकंवर पत्नी सवाई सिंह अमरदीपसिंह पुत्र सवाईसिंह महादेव सिंह पुत्र सवाई सिंह अमरज्योति/प्रिती कंवर पुत्री सवाई सिंह, दरिया कंवर पत्नी वसुदेव सिंह मनीष पुत्र वसुदेव सिंह, प्रियंका, सीमा, टीना पुत्रिया वसुदेव सिंह , सरला कंवर, निलम कंवर, टीना कंवर, जीतु कमल पुत्रीया माणक कंवर है उपरोक्त वंशवृक्ष अनुसार श्री हरिसिंह पुत्र श्री खेमदान चारण जाति चारण निवासी रेन्दड़ी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता/पति भरतसिंह अप्रार्थी संख्या 6 वसुदेव हुए। जिसमें प्रार्थीगण के पिता/पति भरतसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति सवाई सिंह तथा अप्रार्थी संख्या 6 वसुदेव का बराबर बराबर हक हिस्सा निहित हुआ। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को 161/900 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी

हिस्सा 1/16 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/16 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/16 का हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/2 हक हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 का 16/225 हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 6 वसदेव ने खसरा संख्या 523 रकबा 0.5200 हैक्टर किस्म बंजड़ में निहित 1/2 हक हिस्से में से 4/11 हक हिस्सा अर्थात उपरोक्त खसराजात की भूमि का 2/11 वां हक हिस्सा का दिनांक 02/07/2020 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बेचान पंजीयन रजिस्ट्री करवा देने से उक्त वादग्रस्त कृषि जो की भूमि के खसरा नंबर 523 में अप्रार्थी संख्या 1 का 2/11 वां हक हिस्सा निहित हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 उर्वर्शी ने बिना वादग्रस्त कृषि जोत की खसरा नंबर 523 का बंटवाड़ा किये उपरोक्त कृषि जोत की भूमि में 2/11 हक हिस्से को खरीद किया है। अब अप्रार्थी संख्या 1 उर्वर्शी लाठी लकड़ी के बल पर जो जबरदस्ती खसरा नंबर 523 में बिना बंटवाड़ा करवाये उपजाऊ कृषि भूमि पर हक हिस्से अधिक पर तारबंदी कर उस पर कब्जा करने पर आमदा है। जिसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना प्रस्तुत करते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 अपनी मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 523 रकबा 3.5200 हैक्टर भूमि पर अवैध तरीके से बिना बंटवाड़ा करवाये उपजाऊ भूमि पर हक से अधिक हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा करने पर आमदा है। परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 व 6 वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का कायदे के अनुसार हुए विभाजन के अनुसार काबिज नहीं होकर प्रार्थीगण के हक हिस्से में आयी भूमि में दखल अन्दाजी कर प्रार्थीगण को लाठी लकड़ी के बल पर वादग्रस्त कृषि जोत की भुमि में माठ, धोरा पाली को तोड़कर उपजाऊ जमीन देखकर मर्जी माफिक तारबंदी खिचवा कर कब्जा करना चाहता है। इससे प्रार्थीगण अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो में किया जाना संभव नहीं है। अतएव प्रार्थीगण इस वादग्रस्त कृषि जो की भूमि का डिविजन ऑफ होल्डींग बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवा कर अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते है। अतएव प्रार्थीगण का यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम डिविजन ऑफ होल्डींग बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस करवा कर अपना हिसा अलग करवा कर अलग से कब्जा करने का प्रस्तुत करते है अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर जब क बंटवाड़ा नहीं करवा लेवे, जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरदस्जी काबिज काश्त होने व तारबंदी करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण अपने वादग्रस्त कृषि जोत भूमि पर कृषि भूमि की गुणवता को ध्यान दिये बिना पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा को नहीं मानते हुए बिना बंटवाड़ा करवाये अपने मनमर्जी से कब्जा करने में समर्थ हो जाते है व तारबंदी कर देते हैं तो प्रार्थीगण को भारी हक तलफी होगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। जिस क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जाना संभव होगा। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ये अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थिगण प्राप्त करने का अधिकार है कि अप्रार्थिगण जब वादग्रस्त कृषि जोत भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त नही कर ले तब तक वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि या पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा की माठ धोरा पाली नही तोडे एवं मर्जी माफिक कब्जा नही करे व तारबंदी इत्यादि नही करे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रदान की जावे कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 400 व पुराना खाता

उपखण्ड अधिकारी

275 के खसरा नंबर 523, 527, 528, 529, 534 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.2500 है0 किस्म बंजड़,चा0सो0,जा0सो0 की कृषि भूमि का ताफैसला अर्थात् मूल वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि में रदोबदल नहीं करे तारबंदी नहीं कर, वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर अपनी मर्जी माफिक कब्जा न करने व किसी अन्य से न कराये जाने की ईश्दतुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को नोटिसेज बारते जबाब प्रा0 तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 व 07 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0 पत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आधारहीन पेश किया हैं जिसमें प्रार्थीगण कतई सफलता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने इस पद में वर्णित सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 523, 527, 528, 529, 534 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.2500 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त रूप से राजव रेकर्ड में दर्जसुदा अवश्य स्थित है। प्रार्थीगण ने हरीसिंह पुत्र खेमदान जी की वंशावली बताई है जो सही है। उपरोक्त पद में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि में अपना व अप्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज किया है जो प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है जो सही है तथा अप्रार्थी संख्या 6 अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि पर बतौर खातेदारी काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 उर्वशी ने खसरा संख्या 523 में से 2/11 हिस्सा खरीद किया हो तो प्रार्थी स्वयं साबित करें। अप्रार्थी संख्या 6 ने अप्रार्थी संख्या 1 को कभी भी नहीं उकसाया है न ही अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 6 की कोई बातचीत हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 06 मनमर्जी से काश्त करते हो जबकि वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर खातेदारान के बीच बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर अलग–अलग काबिज है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह लिखना कि अप्रार्थी मर्जी माफिक काश्त करते है गलत व झूंठ है अप्रार्थी संख्या 6 ने कभी भी धोरा पाली व माठो को नहीं बिखेरे है न ही प्रार्थीगण के साथ कभी कोई लडाई झगड़ा टंटा फसाद किया है। प्रार्थीगण के सभी कथन गलत एवं झूंठ है प्रार्थीगण ने गलत एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थीगण का यह लिखा कतई गलत है कि वादस्थ कृषि भूमि का बंटववाड़ा नहीं किया गया हो तथा प्रतिवादी मर्जी माफिक काश्त करते हो जबकि वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़ा मौके पर खातेदारान के बीच किया हआ है तथा अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं, प्रतिवादीगण सह खातेदारान है तथा कोई भी खातेदार सह खातेदारान को उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से प्रतिबन्धित नहीं करवा सकता है न ही किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में कतई नहीं बनता है न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाता है तो प्रार्थी की बजाये अप्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सहव्यय खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 08 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि पद संख्या 01,

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

06 07 कानूनी होना बताया है पद संख्या 3, 4 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें तथा पद संख्या 02 उक्त भूमि ग्राम रेन्दडी में होना बताया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 400 व पुराना खाता संख्या 275 के खसरा नंबर 523, 527, 528, 529, 534 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.2500 है0 किस्म बंजड़,चा0सो0,जा0सो0 की कृषि भूमि का ताफैसला अर्थात् मूल वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि में रदोबदल नहीं करे तारबंदी नहीं कर, वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर अपनी मर्जी माफिक कब्जा न करने व किसी अन्य से न कराये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिक्ता अप्रार्थी संख्या 06 ने दौराने बहस व्यक्त किया है कि अप्रार्थी संख्या 6 ने कभी भी धोरा पाली व माठो को नहीं बिखेरे है न ही प्रार्थीगण के साथ कभी कोई लडाई झगड़ा टंटा फसाद किया है। प्रार्थीगण के सभी कथन गलत एवं झूंठ है प्रार्थीगण ने गलत एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे सहव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित है। वस्तुतः वादस्थ भूमि में प्रतिवादी रेकर्डेड खातेदार है। वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)